भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1374

दिनांक 09.02.2021

आईसीएआर और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के बीच समझौता ज्ञापन

1374. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री चंद्र शेखर साहू:

श्री सुधीर गुप्ता

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), विद्युत मंत्रालय के बीच ऊर्जा दक्षता के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौता ज्ञापन के नियम और शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे किसानों को क्या लाभ होगा;

(घ) क्या सरकार का विचार इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से देशभर में किसानों में ऊर्जा दक्ष पंप सेटों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने का है और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा;

(ङ) इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत ऊर्जा और संसाधन दक्ष प्रचालन व्यवहारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) क्या इस समझौता ज्ञापन में देशभर में कृषि विज्ञान केन्द्रों पर किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि और किसान कल्याण मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) जी, हाँ।

(ख) ऊर्जा-दक्ष पम्पसेटों तथा परिचालन क्रियाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीश्यंसी), ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे ताकि ऊर्जा और संसाधन दक्ष दृष्टिकोण अपनाए जा सकें। यह समझौता ज्ञापन 25 जुलाई 2018 से 31 मार्च, 2020 तक के लिए प्रभावी था।

.....2/-

(ग) किसानों को निम्नलिखित लाभ हुए:

क. विशेष रूप से कृषि पम्पसेटों, ट्रैक्टरों तथा अन्य मशीनों का प्रयोग करने में कृषि क्रियाओं में ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण के बारे में जागरूकता।

ख. ईंधन दक्षता और जल संसाधन उपयोग दक्षता में सुधार करना तथा इस प्रकार खेती की लागत को कम करना ताकि ''प्रति बूंद और अधिक फसल'' तथा ''किसानों की आय को दोगुना करने'' की कार्यनीति के अनुरूप किसानों की आय में वृद्धि की जा सके।

(घ) जी, हाँ। ब्यौरे प्रश्न (च) के उत्तर में दिए गए हैं।

(ङ) सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम, किसानों के प्रशिक्षण सत्रों को सफलतापूर्वक आयोजित करने तथा किसानों को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य की नामोद्दिष्ट एजेंसियों/कृषि विज्ञान केन्द्रों को प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए राज्य की नामोद्दिष्ट एजेंसियों/वितरण कंपनियों (डिस्कोम्स) के साथ समन्वय स्थापित करना तथा इनका आयोजन करने के लिए राज्य की नामोद्दिष्ट एजेंसियों के माध्यम से कृषि विज्ञान केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

(च) जी, हाँ। समझौता ज्ञापन के भाग के रूप में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सूचीबद्ध किए गए राज्यों नामत: पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा केरल में, प्रत्येक में प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के लिए उपयुक्त कृषि विज्ञान केन्द्रों की पहचान करने में सहायता प्रदान की है। चुने गए राज्यों में चिह्नित किए गए कृषि विज्ञान केन्द्रों में किसानों के प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने तथा जागरूकता प्रदान करने के लिए यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी।

कृषि विज्ञान केन्द्रों ने संबंधित विषय पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय/राज्य कृषि विभाग से उपयुक्त अधिकारियों की सेवाएँ प्राप्त की थी। साथ ही, कृषि विज्ञान केन्द्रों ने प्रशिक्षण सत्रों में सहभागिता करने के लिए स्थानीय किसानों और अन्य हितधारकों को जुटाने का कार्य भी किया।

वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान, 49 कृषि विज्ञान केन्द्रों ने ऊर्जा दक्षता (बीईई) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 3644 किसानों ने सहभागिता की।

****